न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—236/2019/225 (2019/00236)

1. तुलछारामू पुत्र लादूराम, जाति जाट, निवासी हाथीखेड़ा चौराहा, फॉय— सागर, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. रामसिंह पुत्र स्व0 सींगा, जाति रावत, निवासी ग्राम हाथीखेड़ा, तहसील व जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान लोक अदालत एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, दिनांक 7.6.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 1/2016.

उपस्थितः—

1. श्री चन्द्रपकाश शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैराकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 27.8.2019

1. यह अपील विद्वान लोक अदालत एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 7.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर प्रतिवादी/अपीलांट को वाद के निर्णय तक निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 7.6.2016 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 स्वीकार कर अपीलांट को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का आदेश पारित किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अपने वादपत्र व प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 194/505 के खसरा नंबर 1296, 1297, 1299, 1313/2465 की समस्त भूमियों में 1/5 हिस्से का तथा अपीलांट/प्रतिवादी 4/5 हिस्से का सहिस्सेदार खातेदार के रूप में दर्ज

है । अधी0न्याया0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष जवाबदावा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वादी/रेस्पो0 के कथनों का खण्डन किया कि वादग्रस्त भूमि मौके पर बाहमी विभाजन से वादी अपने 1/5 तथा अपीलांट 4/5 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा पक्षकारान सहखातेदार है जिनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है इसके उपरांत भी अधी0न्याया0 ने प्रकरण को लोक अदालत मे रखकर, अपीलांट को बिना कोई सूचना दिये अपीलांट व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थित में प्रकरण को निर्णित कर अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अपीलाधीन आदेश बिना सुनवाई किये गलत रूप से पक्षकारान व उनके वकीलों की उपस्थिति दर्ज करते हुए जिस प्रकार से पारित किया गया है वह विधिक के बाध्यकारी प्रावधानों एवं न्याय, नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन ही नहीं किया जबकि प्रकरण रेस्पो0 संख्या 2 राज0सरकार के जवाब में विचाराधीन था । अधी0न्याया0 ने मात्र सरसरी तौर पर संक्षिप्त आदेश पारित किया है जिसमें प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का भी विवेचन नहीं किया गया है जिससे भी अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में लोक अदालत में पारित किया गया है जिससे अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही हो सकी थी। अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अधिवक्ता से संपर्क करने पर दिनांक 25.6.2019 को हुई जिस पर आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी राजस्व वाद में नियमित रूप से हाजिर होते आ रहे है । आदेश दिनांक 7.6.2016 की जानकारी अपीलांट को प्रारंभ से ही । अपील जानकारी होने के बावजूद 3 वर्ष के विलंब से पेश की गई है जो क्षम्य योग्य नहीं होकर अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है ।

7. प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0/वादी द्वारा अपीलाधीन भूमि जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 194/505 के खसरा नंबर 1296, 1297, 1299, 1313/2465 भूमि ग्राम हाथीखेड़ा तहसील अजमेर में वादी/रेस्पो0 का 1/5 हिस्सा एवं अपीलांट का 4/5 हिस्सा है तथा विवादित भूमि का आज तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है परन्तु अपीलांट/प्रतिवादी बिना बंटवारे के ही मौके पर रोड़ से लगती हुई भूमि पर कब्जा कर खेल मैदान बाउण्ड्रीवाल बनाने पर आमादा है तथा भूमि को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है इस कारण अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 द्वारा विवादित भूमि का बंटवारा करवाये जाने के संबंध में वाद पेश किया गया तथा दौराने वाद विवादित संयुक्त सहिस्सेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि पर अवैध निर्माण न करने बाबत् एवं वादी/रेस्पो0 को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल न करने बाबत् एवं भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करने बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पेश

किया गया था । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं वादी/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब हेतु समय लेते रहे परन्तु जवाब पेश नहीं किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा राजस्व कैम्प में दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए विवादित भूमि के संदर्भ में प्रार्थी के 1/5 हिस्सा तथा अप्रार्थी का 4/5 हिस्सा की भूमि पर उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया गया है जिसमें अधी0न्याया0 द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है । वाद बंटवारे के संबंध में है जिसमें प्रत्येक हिस्सेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर सहिस्सेदारी एवं कब्जा होता है । कोई भी पक्षकार बिना विधिक बंटवारे के निश्चित भूभाग पर न तो निर्माण कर सकता एवं न ही खुर्दबुर्द कर सकता है । अधी0न्याया0 द्वारा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि कारित नही की है एवं यह भी कथन किया कि अपीलांट उक्त आदेश से किस प्रकार व्यथित है इस संबंध में अपील मीमों में कोई कथन नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायाहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार ग्राम हाथीखेड़ा, तहसील अजमेर स्थित खाता संख्या 194/505 के खसरा नंबर 1296 रकबा 0.06 है0, 1297 रकबा 0.010 है0, 1299 रकबा 0.03 है0, 1313 रकबा 0.04 है0 एवं 1313/2465 रकबा 0.04 है0, समस्त भूमियां चाही प्रथम में वादी/रेस्पो0 रामसिंह का 1/5 हिस्सा एवं अपीलांट/प्रतिवादी का 4/5 हिस्सा दर्ज होकर पक्षकारान की संयुक्त सहिस्सेदार की होकर अविभाजित आराजियात है जो संयुक्त कब्जे काश्त में है । स्वंय अपीलांट ने भी अपने अपीलमीमों में पैरा संख्या 2 में विवादित भूमियां संयुक्त खातेदारी एवं सहिस्सेदारी होने का कथन किया है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संयुक्त सहिस्सेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि पर कोई भी पक्षकार बिना विधिक बंटवारे के विशिष्ट भू–भाग पर न तो निर्माण कर सकता है एवं न ही खुर्दबुर्द ही कर सकता है । अपीलाधीन भूमि का बंटवारा होने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा वादी/रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का जवाब ही पेश नहीं किया गया है तथा उभयपक्ष की उपस्थिति में कैम्प हाथीखेडा में प्रकरण को रखकर एवं उभयपक्ष को सुनकर अपीलाधीन भूमि बाबत् उभयपक्षों को मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया है जिसमें अधी0न्याया0 द्वारा कोई विधिक त्रुटि कारित नही की है । प्रथमदृष्टया प्रकरण रेस्पो0/वादी के पक्ष में पाया जाता है । यदि वाद के विचाराधीन रहते विवादित भूमि पर बिना विधिक बंटवारे के किसी पक्षकार द्वारा निर्माण कराया जाता है अथवा खुर्दबुर्द की जाती है तो वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है । इस कारण अपूर्णीय क्षति व असुविधा रेस्पो0/वादी को होने की संभावना है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज

योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.6.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर